राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

F 23 (13) NRHM / ISC / 2009 / 4690 दिनांकः–26.10.09

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा (वर्ष 2009–10) के बिन्दु सं 58 की अनुपालना में जारी दिशा निर्देशः–

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा में बिन्दु सं 58 में उल्लेख किया गया है कि 108–एम्बूलेंस सेवा योजना वर्तमान में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है इसलिए चालू वर्ष मे 150 अतिरिक्त एम्बूलेंस वाहन क्रय किये जायेगे । इसके अतिरिक्त सांसद एवं विधानसभा सदस्य अपने कोष से एवं अन्य दानदाता यदि रू 15 लाख की राशि एम्बूलेंस हेतु उपलब्ध कराते है तो 108–एम्बूलेंस सेवा क्षेत्र विशेष में भी तत्काल शुरू की जा सकेगी।

इस हेतू दिशा–निर्देश निम्न प्रकार से हैः–

1. किसी क्षेत्र विशेष में एम्बूलेंस लगवाने के लिए ; माननीय सांसद, एवं विधायक अपने कोष से एवं अन्य दानदाता 15 लाख रू उपलब्ध करवाऐंगें। यह राशि डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. को भेजी जायेगी। डिमांड ड्राफ्ट "राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर" के नाम से बनेगा। जिस क्षेत्र में प्रदाता एम्बूलेंस लगवाना चाहते है उसका उल्लेख मिशन निदेशक एन.आर.एच.एम. को लिखे पत्र में किया जाएगा एवं डीडी भी उसी पत्र के साथ भेजा जाएगा।

2. यह राशि राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी के खाते मे निम्न बजट मद में जमा की जावेगीः–

    (1) Donation from private Donor for 108- Ambulance Service
    (2) Contribution from MP / MLA fund for 108- Ambulance Service

3. इस प्रकार प्रदान की गई एम्बूलेंसो का डिप्लायमेन्ट किसी क्षेत्र विशेष के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय अथवा मेडिकल कॉलेज में प्रदाता की इच्छानुसार किया जाएगा। डिप्लायमेंट करने से पूर्व इस तथ्य की जानकारी भी की जावेगी कि जिस स्थान विशेष में प्रदाता डिप्लायमेंट चाहता है, वहाँ उसकी पर्याप्त उपयोगिता होगी।

4. प्रदाता की इच्छा के आधार पर दी गई एम्बूलेंस पर " प्रदाता का नाम / संस्था का नाम के सौजन्य से " अंकित किया जा सकता है।

5. इस प्रकार प्रदान की गई एम्बूलेंस का संचालन व्यय (Operational Expenses) विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

(किशनाराम ईशरवाल)
परियोजना निदेशक
एन.आर.एच.एम.

F 23 (13) NRHM / ISC / 2009 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री , राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं (प0क0) , विभाग।
6. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., जयपुर।
7. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
8. निदेशक आरसीएच, चिकित्सा विभाग, निदेशालय, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, एन.आर.एच.एम., जयपुर।
10. प्रभारी– सर्वर रूम को पत्र संबंधित ई–मेल करने एवं दिशा निर्देशो को विभाग की साइट पर अपलोड करने के निर्देश के साथ।
11. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एन.आर.एच.एम.